क्रम-संख्या—40

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 मार्च, 2020

फाल्गुन 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 414/79-वि-1—20-1(क)-2-2020
लखनऊ, 6 मार्च, 2020

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001 में सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "विकलांग" शीर्षक, वृहत नाम, पार्श्व शीर्षकों सहित जहाँ कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द "दिव्यांग" रख दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"4– विश्वविद्यालय, केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या उक्त किसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय या निगम से या किन्हीं गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं से या किसी व्यक्ति से सहायता–अनुदान, दान के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में प्रदान की गयी कोई वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी गैर सरकारी इकाई या किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता, विधिसम्मत रूप से अर्जित की गई हो।"

धारा 11 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 11, में उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।"

धारा 18 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी में से निम्न न हो।"

धारा 19 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (1) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(च) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से निम्न न हो।"

धारा 40 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(क) धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता;

(क–1) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, चित्रकूटधाम द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने हेतु उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) अधिनियमित किया गया है। चूँकि भारत सरकार ने इस श्रेणी के व्यक्तियों का सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठापित करने हेतु विकलांग व्यक्तियों का नाम दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अतएव, उक्त अधिनियम में विकलांग का नाम तद्नुसार परिवर्तित करना समीचीन समझा गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 में यह उपबन्ध है कि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार से या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या किसी वित्तीय सहायता के लिए हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय की माँग पर यह उचित माना गया है कि विश्वविद्यालय को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार और किसी गैर सरकारी संगठन आदि से अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

चूँकि उक्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता रहा है और अब, यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रशासित है। अतः तत् संदर्भ में उक्त अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

अतएव ऊपर वर्णित स्थितियों के आलोक में तत्सम्बन्धी उपबन्ध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह–II,
प्रमुख सचिव।

———

No. 414(2)/LXXIX-V-1–20-1(Ka)-2-2020

Dated Lucknow, March 6, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Vikalang Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 5, 2020. The Divyangjan Sashaktikaran Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH JAGADGURU RAMBHADRACHARYA HANDICAPPED UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 3 of 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Act, 2001.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-First Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University (Amendment) Act, 2020. Short title

2. In the Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Act, 2001, hereinafter referred to as the principal Act *for* the word, "Handicapped" wherever occurring including heading, long title and marginal headings, the word "Divyanga" shall be *substituted.* General Amendment in U.P. Act no. 32 of 2001

Amendment of section 4

3. *For* section 4 of the principal Act, the following section shall be *substituted, namely* :-

"4. The University may accept any financial assistance offered to it in the form of grant-in-aid, donation or any other form by the Central Government, the State Government of Uttar Pradesh or any other State Government or a Union Territory or any body or corporation owned or controlled by any of the said Government or from any non-governmental organizations, institutions or from an individual:

Provided that the financial assistance given by a non-governmental unit or an individual shall be legally acquired."

Amendment of section 11

4. In section 11 of the principal Act, in sub-section (2) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted,* namely :-

''(c) the Secretary to the Uttar Pradesh Government in the Divyangjan Shasaktikaran Vibhag.''

Amendment of section 18

5. In section 18 of the principal Act, in sub-section (1) *for* clause (d), the following clause shall be *substituted,* namely :-

"(d) the Secretary to the Uttar Pradesh Government in the Divyangjan Shasaktikaran Vibhag or his nominee not below the rank of Special Secretary."

Amendment of section 19

6. In section 19 of the principal Act, in sub-section (1) *for* clause (f), the following clause shall be *substituted,* namely :-

"(f) the Secretary to the Uttar Pradesh Government in the Divyangjan Shasaktikaran Vibhag or his nominee not below the rank of Joint Secretary."

Amendment of section 40

7. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1) *for* clause (a), the following clauses shall be *substituted,* namely :-

"(a) financial assistance received by the University under section 4;

(a-1) all fees which may be charged by the University."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University Act, 2001 (U.P. Act no. 32 of 2001) has been enacted to establish and incorporate a University Sponsored by Jagadguru Rambhadracharya Viklang Shikshan Sansthan, Chitrakootdham in the State. Since the Government of India has changed the name of handicapped persons as Divyang persons to establish the social honour of the persons of this category. It has, therefore, been considered expedient to change the name of handicapped in the said Act accordingly.

Section 4 of the said Act provides that the University shall not be entitled to any grant-in-aid or any financial assistance from to State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government. On the demand of the University it has been considered appropriate to allow the University to recieve grant or financial assistance from the Central Government/State Govenment and any non-govenment organization etc.

Since the said University has been administered by the Information Technology and Electronics Department of the State Government and now it is administered by the Divyangjan Sashaktikaran Vibhag. Hence, it has become necessary to amend the relevant provisions of the said Act in context thereof.

It has, therefore, been decided to amend the aforesaid Act to make the provisions thereof in the light of the positions stated above.

The Uttar Pradesh Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University (Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 726 राजपत्र–(हिन्दी)–2020–(1750)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 158 सा0 विधायी–2020–(1751)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।